

फर्द अहकाम

लालाराम

बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 84/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी साक्षिवत्ता उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को हनीकार किया जाकर दिनांक 16/01/2024 की पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विवादित धाराजी के संबंध में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र वाक्य स्वयंगत का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली जैसल सुमार होकर बाद तकनीत दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">लालाराम</p>

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्लदाई  
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादीया  
1. प्रेम देवी पत्नी बाबूलाल  
पतालिया जाति बागड़ा  
ब्राहमण निवासी ग्राम  
खिजूरिया ब्राहमणान तह.  
बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रभातीलाल पुत्र तुलस्या
2. चोधमल पुत्र तुलस्या
3. लाली पत्नी छोटू
4. राजेन्द्र पुत्र भगवानासहाय
5. रामा देवी पत्नी भगवानसहाय
6. लाला पुत्र बिरदीचन्द  
समस्त जाति बागडा ब्राहमण  
खिजूरियान ब्राहमणान तहसील  
जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील  
बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर
8. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी  
जयपुर।

दावा बाबत विमाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 255/2019

वादीया का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आ  
ख.नं. 25/2 रकबा 2.0611 है. स्थित ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान प.ह. खिजूरिया  
ब्राहमणान तह. बस्सी जिला जयपुर का तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित  
प्रस्ताव दिनांक 10.04.2023 का अनुमोदन किया जाकर वादीया का वाद  
किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार  
रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....

.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना.....

की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2024 को सा  
गया।

सल रो मिलीन किया  
मोहर


दस्तख्त.....

ओहदा.....

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा बकालतनामा वहते सबूत वकील गवाहन कमिश्नर इजराय नामा गरिक जान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिर ही दर्ज करना चाहिए।

(००) M  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी, जयपुर ग्र

साक्षित कोर्टो प्र  
  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी जिला जयपुर